Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **महाराणा प्रताप खेलगांव, चित्रकूट नगर, उदयपुर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रकरण में 01 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, तत्कालीन सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं 01 कॉन्ट्रेक्टर गिरफ्तार**

जयपुर, *23 दिसम्बर, सोमवार।* **उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव चित्रकूट नगर में क्रिकेट स्टेडियम** के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी की सत्यापन रिपोर्ट, तकनीकी समिति की रिपोर्ट, एफ.एस.एल. जयपुर एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, सा.नि.वि उदयपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट तथा संबंधित रिकोर्ड के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण संख्या 496/2011 पंजीबद्व किया गया था। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये उक्त प्रकरण में **01 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, तत्कालीन सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं 01 कॉन्ट्रेक्टर** को गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि उक्त प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर द्वारा चालानी आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त आरोपीगण की अभियोजन स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर आरोपी 1. **श्री देवेश कुमार शर्मा** तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर **हाल अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर,** 2. **श्री विमल कुमार मेहता** तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर हाल सेवानिवृत 3. **श्री मुकेश जानी** तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर हाल सेवानिवृत एवं 4. **श्री हेमराज वरदार** ठेकेदार डायरेक्टर मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर को एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में ए.सी.बी. उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर श्री अनन्त कुमार** द्वारा मय टीम गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। **माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.सं. 01 उदयपुर** द्वारा उक्त 04 अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।